Forwarded

🔺 भ्रष्टाचार की भी मर्यादा को लांघ गए सदर तहसीलदार

• न्याय शब्द का कर दिया चीरहरण।

• अपने पद व गरिमा को भूल बैठे निज स्वार्थ के आगे।

• जिले के उच्च अधिकारियों ने तहसीलदार के दबदबे के चलते बांधी आंखों में पट्टी।

• जनपद उन्नाव सदर तहसील वर्तमान समय में भ्रष्टाचार के सागर में गोते लगाते दिख रही है। जिस पर जिला प्रशासन के उच्च अधिकारियों का संयम भी नहीं दिख रहा है। बताते हैं कि सदर तहसीलदार इतने प्रभावशाली है कि उनके आगे उच्च अधिकारी भी उनके कृत्य पर पर्दा डालते दिखते हैं। जिससे सदर तहसीलदार का मनोबल और भी बढ़ता जा रहा है। जहां उन्होंने सरकारी पत्रावलियों को अपने स्कूल की होमवर्क की कॉपी बनाकर रख दिया है जब जो चाहे लिख दे और जब चाहे चुपचाप काट दे।

• पता चलता है कि न्यायिक कक्षा में याची कर्ताओं के आगे कुछ लिखते हैं और बाद में किसी दबाव के चलते अपने विश्राम कक्ष में पत्रावली में संशोधन कर कुछ और लिख देते हैं।

• जिसके चलते याचीकर्ता पूर्व नियत तारीख के चलते सुनवाई हेतु न्याय कक्ष में पहुंचता है तो उसको बताया जाता है की तुम्हारी बहस पर नहीं आदेश पर फाइल है।

• और तो और जबकि याचिकर्ता के विद्वान अधिवक्ता उक्त तिथि में अनुपस्थित होने का प्रार्थना पत्र किसी माध्यम से भेज रहे हैं। जिसे तहसीलदार साहब द्वारा प्राप्त कर खारिज करना बताया जाता है।

• और पूर्ण नियोजित संयंत्र को अंजाम देते हुए अपने आदेश में बहस सुनना स्वीकार कर दिखलाते हैं।

अब इसको क्या कहा जाए सरकारी पत्रावली की फर्देकाम स्वयं गवाह अगर उक्त पत्रावली की फर्देकाम कोई उच्च अधिकारी मात्र एक बार ध्यान से देखें तो सारा संयंत्र स्वयं सामने आ जाएगा।

• अधिवक्ता की अनुपस्थित होने के चलते उसे स्वयं अपनी फर्देकाम लिख भी रहे हैं, और दूसरे तरफ जो बहस पर अग्रिम तिथि में लगाई गई वही षड्यंत्र के चलते वह शब्द काटकर आदेश शब्द लिख दिया गया।

• जबकि वास्तविकता यह है की 24 जनवरी तारीख बहस पर याचिकर्ता की लगी थी, लेकिन सुनियोजित ढंग से संयंत्र को अंजाम देते हुए उसकी 24 जनवरी को वह शब्द काटकर अलग से आदेश शब्द अपने मन मुताबिक लिखकर फाइल का पिंडदान कर देते हैं। याचिकर्ता जाए तो कहां जाए ?

• स्क्रीन संलग्न पत्रावली की फर्देकाम नकल स्वयं सबुत है।

8:46 am

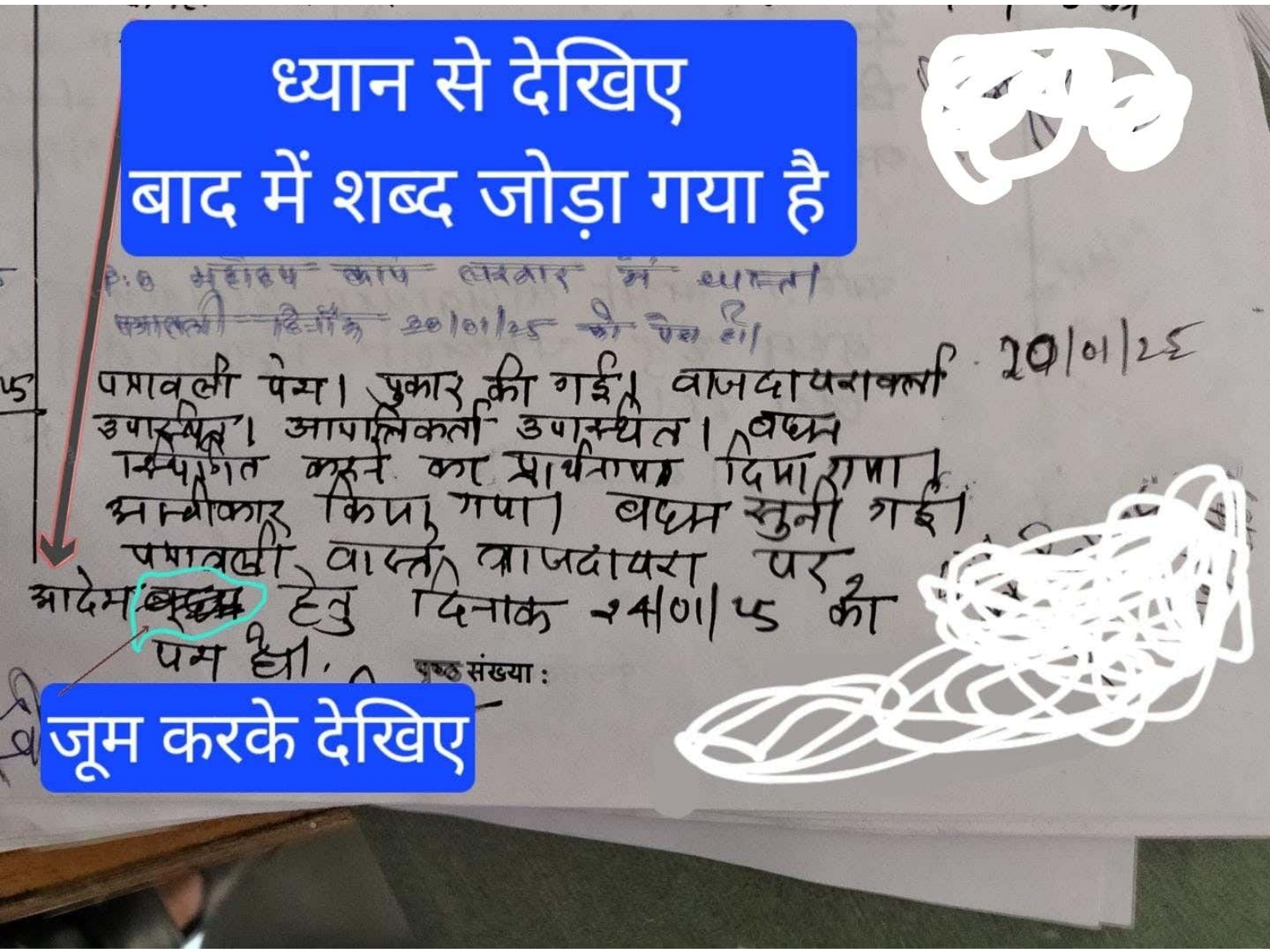
ध्यान से देखिए
बाद में शब्द जोड़ा गया है
जूम करके देखिए

🔴 **राजस्व परिषद के नियमों का किया चीरहरण, कानून की कर दी गई गया ।**

🔴 **सपा के कद्दावर नेता जी के चलते, करोड़ों की भूमि का हो गया बंदर बांट।**

🔴 **जिला प्रशासन पत्रावली की जांच ना करा कर दिख रहा मरणासन्न स्थित में।**

• **जनपद उन्नाव** सदर तहसीलदार द्वारा खुलेआम राजस्व परिषद के कठोर नियमों को ताक पर रखकर कर दिया बेशकीमती भूमि का फैसला।

• राजस्व परिषद के नियम अनुसार जहां किसी भी "आसंक्रमणी भूमि" का किसी के द्वारा अगर क्रय–विक्रय किया जाता है तो उक्त भूमि सरकार की मानी जाती है। और ऐसे कृत्य करने वाले व्यक्ति पर कानूनी कठोर कार्रवाई की जाती है

• लेकिन करोड़ों की भूमि में बंदर बांट के चलते उक्त नियम भी तहसीलदार भूल गए और राजस्व को दे दिया बड़ा झटका।

• अपने किए गए फैसला, मुकदमा नंबर T202010690108910 के आदेश में धारा 76 का अनुपालन क्यों नहीं दिखाया ?

• आसंक्रमणी दस्तावेज सन 2007 का भूमि संक्रमणी हुई सन् 2020 में , पूर्व तहसीलदार द्वारा गलत आदेश को किया गया था स्थगन, तो वहीं वर्तमान तहसीलदार अविनाश चौधरी द्वारा आपत्तिकर्ता की एक न सुनी।

• और तो और पूर्व आदेश में जहां भूमाफियाओं द्वारा न्यायालय को गुमराह कर मृतक के नाम दाखिल खारिज करवा दी गई थी, वह भी वर्तमान तहसीलदार को नहीं दिखाई दिया और साथ ही पत्रावली में आदेश की तिथि व संलग्न मृत्यु प्रमाण पत्र की तिथि भी नहीं दिखाई दी।

• और आनन-फानन बगैर आपत्तिकर्ता की कोई बहस व उसकी दलील सुने बिना स्थगन आदेश को समाप्त कर भूमाफियाओं को थमा दी गई भूमि।

• भूमाफियाओं को दे दिया क्रय विक्रय की छूट व पूर्व गैर कानूनी आदेश को सही बता दिया।

• क्या दबाव था ? यह विषय गंभीर व जांच का है। इनके द्वारा कई ऐसे फैसले सदर तहसील में पड़े जिसमें राजस्व को करोड़ों की हानि हुई वह भी जांच करने योग्य है।

• बताते हैं कि सपा के कोई बड़े कद्दावर नेता जी व सत्ता पक्ष के जिले में मशहूर सेवा भाव की दुहाई देने वाले (तथाकथित) चर्चित नेता जी की सरपरस्ती के चलते यह खुलेआम राजस्व परिषद के कानून का किया गया चीर हरण और करोड़ों की भूमि का हो गया बंदरबांट।

• भ्रष्टाचारी अधिकारी का जनपद में हो रहा ऑडियो वायरल,बहुत दुख के साथ कहना पड़ रहा है, कि ऐसे भ्रस्ट अधिकारी के विरुद्ध सरकार को उच्चस्तरीय जांच कराकर उचित कार्रवाई करनी चाहिए।

• खुलेआम न्याय शब्द की गरिमा को गिराने वाले ऐसे भ्रष्ट अधिकारी को दंडित किया जाना चाहिए।

• जिला प्रशासन भी संदर्भित पत्रावली की जांच ना कर मरणासन्न स्थिति में दिख रहा है

8:51 am

यह ऑडियो तहसीलदार साहब सदर उन्नाव का स्वयं का है, जिसमें धारा 76 के तहत परमीशन की दुहाई दे रहे हैं।

• और खुलेआम राजस्व परिषद के कठोर नियमों को ताक पर रखकर कर दिया बेशकीमती भूमि का फैसला।

• राजस्व परिषद के नियम अनुसार जहां किसी भी "आसंक्रमणी भूमि" का किसी के द्वारा अगर क्रय–विक्रय किया जाता है तो उक्त भूमि सरकार की मानी जाती है।

• लेकिन करोड़ों की भूमि में बंदर बांट के चलते उक्त नियम भी तहसीलदार भूल गए और राजस्व को दे दिया बड़ा झटका।

• अपने किए गए फैसला, मुकदमा नंबर T20201069010891O के आदेश में धारा 76 का अनुपालन क्यों नहीं दिखाया ?

• आसंक्रमणी दस्तावेज सन 2007 का भूमि संक्रमणी हुई सन् 2020 में , पूर्व तहसीलदार द्वारा गलत आदेश को किया गया था स्थगन, तो वहीं वर्तमान तहसीलदार अविनाश चौधरी द्वारा आपत्तिकर्ता की एक न सुनी।

• और तो और पूर्व आदेश में जहां भूमाफियाओं द्वारा न्यायालय को गुमराह कर मृतक के नाम दाखिल खारिज करवा दी गई थी, वह भी वर्तमान तहसीलदार को नहीं दिखाई दिया और साथ ही पत्रावली में आदेश की तिथि व संलग्न मृत्यु प्रमाण पत्र की तिथि भी नहीं दिखाई दी।

• और आनन-फानन बगैर आपत्तिकर्ता की कोई बहस व उसकी दलील सुने बिना स्थगन आदेश को समाप्त कर भूमाफियाओं को थमा दी गई भूमि।

• भूमाफियाओं को दे दिया क्रय विक्रय की छूट व पूर्व गैर कानूनी आदेश को सही बता दिया।

• क्या दबाव था ? यह विषय गंभीर व जांच का है। इनके द्वारा कई ऐसे फैसले सदर तहसील में पड़े जिसमें राजस्व को करोड़ों की हानि हुई वह भी जांच करने योग्य है। बताते हैं कि सपा ० के कोई बड़े नेता जी व सत्ता पक्ष के किसी कद्दावर नेता की सरपरस्ती के चलते यह खुलेआम राजस्व को लगते हैं चुना और कर लिया जाता है बंदरबांट

• बहुत दुख के साथ कहना पड़ रहा है, कि ऐसे गुमराह करने वाले अधिकारियों के विरुद्ध सरकार को उच्चस्तरीय जांच कराकर उचित कार्रवाई करनी चाहिए।

• जिले के उच्च अधिकारी भी इस कृत्य पर मौन हैं। और विसंगति आदेश को निरस्त करने में नाकाम है

• जो आम जनमानस को भी गुमराह कर रहे हैं और लोकप्रिय उत्तर प्रदेश सरकार की छवि को भी धूमिल कर रहे हैं।

8:55 am